# कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री डा0 निरंजन लाल द्वारा दीपक क्लिनिक, गॉधी तिराहा, दौसा जिला दौसा राजस्थान

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा जिला दौसा

अपील सं0 44/2018

<u>निर्णय</u> दिनांक 10.09.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा जिला दौसा को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलेक्टर, दौसा का पत्रांक आरटीआई/2018/816 दिनांक 24.08.18 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है कि प्राप्त आवेदन का संबंध न्याय शाखा कलक्ट्रेट, दौसा से होने के कारण प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, दौसा को धारा 20 (1) में आवेदन भिजवाया गया है। साथ ही संबंधित पत्रावली नहीं मिलने के कारण सूचना उपलब्ध कराने में देरी होना अपने पत्र में अंकित किया गया है। किंतु सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में आवेदक को यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित अभिलेख तलाश करवाया जाकर आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official